

- ☐ एस.ओ.जी. व थाना उसहैत पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में बदायूँ पुलिस को मिली महत्पूर्ण सफलता।
- ☐ थाना उसहैत क्षेत्रांतर्गत पुलिस मुठभेड़ में बच्ची का अपहरण करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को किया गिरफ्तार।
- ☐ पुलिस मुठभेड़ में घायल दो अभियुक्त को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
- ☐ उक्त गिरोह में शामिल प्रकाश में आयीं तीन महिलाओं को भी किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 06.03.2025 को थाना उसहैत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कड़डी नंगला के रहने वाले श्री पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र मेघनाथ द्वारा अपनी डेढ़ वर्षीय पुत्री के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण किये जाने का प्रार्थना पत्र थाना उसहैत पर दिया गया जिसके आधार पर थाना उसहैत पर मु0अ0सं0 40/2025 धारा 137(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर अपहृत बच्ची की सकुशल बरामदगी हेतु एस.ओ.जी. /सर्विलांस टीमों व पुलिस टीमों को लगाया गया था। जिसके क्रम में पुलिस टीमों द्वारा दिनांक 08.03.2025 को अपहृत बच्ची को सकुशल व सुरक्षित बरामद किया गया था। पुलिस टीमों की घेराबन्दी के कारण अज्ञात अभियुक्तगण बच्ची को ग्राम नसरुल्लापुर के पास छोड़कर फरार हो गये थे जिनकी तलाश पुलिस टीमों द्वारा की जा रही थी। दिनांक 09-03-2025 को पुलिस टीमों को इलैक्ट्रानिक सर्विलांस एवं मुखबिर तंत्र से बच्ची का अपहरण करने वाले सक्रिय गिरोह के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार थाना उसहैत व एस.ओ.जी. / सर्विलान्स टीमों द्वारा थाना उसहैत क्षेत्र के अटैना पुल से लगभग ढाई सौ मीटर आगे ग्राम जटा की तरफ जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार तीन व्यक्तियों को चेकिंग के लिये रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल मोड़ कर भागने का प्रयास करने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी जिस क्रम में पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिसमें अभियुक्त अमन पाल पुत्र निरंजन पाल निवासी ग्राम पड़ौलिया थाना कुंवरगाँव जनपद बदायूँ के दाहिने पैर में गोली लगी तथा दूसरे अभियुक्त सागर कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी वार्ड नंबर 01 कस्बा सखानू थाना अलापुर जनपद बदायूँ के बाएं पैर में गोली लगी है। तीसरा अभियुक्त यशपाल सिंह पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम खेदक थाना सहसवान जिला बदायूँ हाल पता गांधीनगर गुप्ता स्वीट हाउस थाना कोतवाली जनपद बदायूँ जो मौके से भाग गया था को भी घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद पूछताछ उक्त अभि0गण के सहअभियुक्त गायत्री पत्नी सुनील कुमार उर्फ बब्लू निवासी शिवपुरम हरी मस्जिद थाना कोतवाली बदायूँ, छोटी पत्नी विरेन्द्र निवासी शिवपुरम हरी मस्जिद थाना कोतवाली बदायूँ, कुसुम पत्नी जितेन्द्र निवासी सतेती बिल्सी बदायूँ हाल पता मौहल्ला नेकपुर थाना सिविल लाइन बदायूँ प्रकाश मे आई । इनके द्वारा इस बच्चे को बारी-2 अपनी निगरानी में

स्वयं के आवासों पर रखा गया। उक्त 03 अभियुक्तों को थाना उसहैत व एस.ओ.जी / सर्विलान्स टीमों द्वारा आज दिनांक 10/03/2025 को सरेली मोड से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि यशपाल, अमन व सागर मिलकर 03 महिलाओं गायत्री, छोटी व कुसुम के सहयोग से छोटे बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, उसके बाद उनके परिजनों से फिरौती की मांग करते हैं, फिरौती नहीं मिलने पर छोटे बच्चों को जरूरतमंद दम्पतियों को बेच देते हैं। गिरोह की महिलाएं जरूरतमंद व्यक्तियों से संपर्क कर बच्चा उपलब्ध कराने का सौदा तय करती हैं तथा अभियुक्तगण रैकी करके बच्चों का अपहरण करने की योजना तैयार करते हैं एवं मौका देखकर छोटे बच्चों का अपहरण कर लेते हैं। इस समय अभियुक्तगण को रूपयों की आवश्यकता थी जिस कारण सभी ने दिनांक 06.03.2025 को मिलकर अपहरण की योजना बनाई, इसी योजना के मुताबिक अभिगण 1. यशपाल पुत्र सूरजपाल 2. अमन पुत्र निरंजनपाल 3. सागर कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल ने ग्राम कड़डी नगला में रैकी की थी। दिनांक 06.03.2025 को ग्राम कड़डी नगला में घटना के समय यशपाल उपरोक्त रैकी कर रहा था तथा अमन व सागर नौ करीब डेढ़ वर्ष की बच्ची का अपहरण कर लिया था। बच्ची इन तीनों महिलाओं छोटी, गायत्री एवं कुसुम के घरों पर रही थी। अभियुक्तगण योजना के मुताबिक फिरौती की रकम पीड़िता के माता पिता से वसूलते अगर यह काम भी नहीं बनता तो किसी जरूरतमंद को रूपये लेकर बेच देते। किन्तु पुलिस की सक्रियता के कारण, अभियुक्तगण बच्ची को ग्राम नसरुल्लापुर थाना उझानी में सड़क किनारे छोड़कर भाग गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अमन पाल पुत्र निरंजन पाल निवासी ग्राम पड़ौलिया थाना कुंवरगाँव जनपद बदायूँ,
2. सागर कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी वार्ड नंबर एक कस्बा सखानू थाना अलापुर जनपद बदायूँ,
3. यशपाल सिंह पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम खेदक थाना सहसवान जिला बदायूँ हाल पता गांधीनगर गांधीनगर गुप्ता स्वीट हाउस थाना कोतवाली जनपद बदायूँ,
4. गायत्री पत्नी सुनील कुमार उर्फ बब्लू निवासी शिवपुरम हरी मस्जिद के पास थाना कोतवाली बदायूँ,
5. छोटी पत्नी विरेन्द्र निवासी शिवपुरम हरी मस्जिद के पास थाना कोतवाली बदायूँ,
6. कुसुम पत्नी जितेन्द्र निवासी सतेती बिल्सी बदायूँ हाल पता मौहल्ला नेकपुर थाना सिविल लाइन बदायूँ।

घटनास्थल, दिनांक

दिनांक 09.03.25 को अटैना पुल से लगभग ढाई सौ मीटर आगे ग्राम जटा की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस मुठभेड में 03 अभिगण गिरफ्तार,
दिनांक 10.03.25 को सरेली मोड तिराहा से 03 अभियुक्ता गिरफ्तार ।

विवरण बरामदगी-

1. अभियुक्त अमन पाल पुत्र निरंजन पाल उपरोक्त से एक अवैध तमंचा 315 बोर दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस (नाल में फंसा हुआ) तथा एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो
2. अभियुक्त सागर कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल उपरोक्त से एक अवैध तमंचा 315 बोर दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर
3. अभियुक्त यशपाल पुत्र सुरजपाल उपरोक्त से एक अवैध तमंचा 315 बोर दो जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम:

- 1- थानाध्यक्ष विक्रम सिंह थाना उसहैत मय एस.ओ.जी / सर्विलान्स पुलिस टीम मय थाना पुलिस बल।

मीडिया सेल बदायूँ।